

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

धीतरसीन अधिकारी:—नेहा छीपा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—48 / 2023 (2023 / 113) प्रार्थना पत्र

अनवागन

1. नारायण पुत्र शंकर कुम्हार (प्रजापति) निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. पेभी पुत्री शंकर कुम्हार (प्रजापति) निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. रोशन पुत्र शंकर कुम्हार (प्रजापति) निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. सायरी पतिन शंकर कुम्हार (प्रजापति) निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा



बनाम

प्रार्थीगण

1. बजरंग पुत्र भैरा ढोली निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. रामलाल पुत्र लालु कुम्हार (प्रजापति) निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. किशन पुत्र गोरा गाडरी निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. किशनलाल पुत्र उमा गाडरी निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. नारू पुत्र हीरा गाडरी निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. तेहरू पुत्र हीरा गाडरी निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. भगवानसिंह दल्लक पुत्र अभयसिंह राजपूत निवासी चारोट तह. रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. देवा पुत्र टेका गाडरी निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. पन्ना पुत्र देवीलाल गाडरी निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. गोश्चन पुत्र परसा कुम्हार निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. ग्राम पंचायत खेमाणा प.स. रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट


उपस्थित

1. अमर सिंह चारण -

निर्णय

प्रार्थीगण अधिवक्ता
दिनांक 14.06.2023

चारोट पटवार हल्का खेमाणा तहसील रायपुर के बरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगण ग्राम खतेदारी अधिकार एवं कब्जे काशत की आराजी संख्या 204 रकबा 0.14 है0 गै.मु. बाड़ा, भूमि राजस्व खाता संख्या 101 पर दर्ज होकर स्थित है। इसी प्रकार ग्राम चारोट के बरून हल्का आबादी में आराजी संख्या 111 रकबा 0.61 है0, आराजी संख्या 112 रकबा 0.54 है0, आराजी संख्या 131 रकबा 0.67 है0, आराजी संख्या 133 रकबा 0.26 है0, आराजी संख्या 136 रकबा 0.52 है0, आराजी संख्या 151 रकबा 0.59 है0, आराजी संख्या 154 रकबा 0.35 है0, आराजी संख्या 155 रकबा 0.34 है0, आराजी संख्या 205 रकबा 0.25 है0, आराजी संख्या 247 रकबा 0.40 है0 कुल कितता 10 कुल रकबा 4.53 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 102 पर दर्ज रेकार्ड है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नवशा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थीगण को काशत करने, काशत लाभ प्राप्त करने, घारा आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस मे सीमा समबन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थीगण को अपनी अस्तित्विभात की परथरगदी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण



(Signature)

मुकदमा नम्बर:-48 / 2023 (2023 / 113) प्रार्थना पत्र

को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पथरगढी कराने बाबत कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को अन्तिम बार कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। अतः प्रार्थीगण की सादर प्रार्थना है कि उक्त वर्णित आराजियात की पथरगढी कराये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 04.04.2023 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षी संख्या 1 लगायत 11 बाबजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। प्रार्थीगण खातेदार है और खातेदार अपनी आराजी की पथरगढी करवाने के लिये स्वतंत्र है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। प्रार्थीगण खातेदार होकर अपनी आराजियात की पथरगढी कराना चाहते है जिसमें अगर कोई विपक्षी ऐतराज भी करता है तो कानूनन स्वीकार योग्य नही है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम चारोट पटवार हल्का खेमाणा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 204 रकबा 0.14 है0 गै.मु. बाड़ा, भूमि राजस्व खाता संख्या 101 पर दर्ज होकर स्थित है। इसी प्रकार ग्राम चारोट के बैरून हल्का आबादी में आराजी संख्या 111 रकबा 0.61 है0, आराजी संख्या 112 रकबा 0.54 है0, आराजी संख्या 131 रकबा 0.67 है0, आराजी संख्या 133 रकबा 0.26 है0, आराजी संख्या 136 रकबा 0.52 है0, आराजी संख्या 151 रकबा 0.59 है0, आराजी संख्या 154 रकबा 0.35 है0, आराजी संख्या 155 रकबा 0.34 है0, आराजी संख्या 205 रकबा 0.25 है0, आराजी संख्या 247 रकबा 0.40 है0 कुल कितता 10 कुल रकबा 4.53 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 102 पर दर्ज रेकाई है। जिसकी पथरगढी कराये जाने हेतु सम्बन्धित नू-अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पथरगढी शुल्क 500 /-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर पीस 1000 /-रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की पथरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए वशामलात पक्षकारान के करायी जावें। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पथरगढी करावें। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्ट्रर मे दाखला अंकित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 14.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(निर्देश) (हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
राज्यपाल क संसुधपुर (सिआन) की लवाडा
रायपुर (भारतवासी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी:—नेहा छीपा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—48/2023 (2023/113) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. नारायण पुत्र शंकर कुम्हार (प्रजापति) निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. प्रेमी पुत्री शंकर कुम्हार (प्रजापति) निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. रोशन पुत्र शंकर कुम्हार (प्रजापति) निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. सायरी पत्नि शंकर कुम्हार (प्रजापति) निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. बजरंग पुत्र भैरा ढोली निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. रामलाल पुत्र लालु कुम्हार (प्रजापति) निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. किशन पुत्र गोरा गाडरी निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. किशनलाल पुत्र उमा गाडरी निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. नारु पुत्र हीरा गाडरी निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. लेहरू पुत्र हीरा गाडरी निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. भगवानसिंह दत्तक पुत्र अभयसिंह राजपूत निवासी चारोट तह. रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. देवा पुत्र टेका गाडरी निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. पन्ना पुत्र देवीलाल गाडरी निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. गोरधन पुत्र परसा कुम्हार निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. ग्राम पंचायत खेमाणा प.स. रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

प्रेषित :-तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा पत्थरगढी कराने बाबत

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थी के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 14.06.2023 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम चारोट पटवार हल्का खेमाणा तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 204 रकबा 0.14 है0 गै.मु. बाड़ा, भूमि राजस्व खाता संख्या 101 पर दर्ज होकर स्थित है। इसी प्रकार ग्राम चारोट के बैरुन हल्का आबादी में आराजी संख्या 111 रकबा 0.61 है0, आराजी संख्या 112 रकबा 0.54 है0, आराजी संख्या 131 रकबा 0.67 है0, आराजी संख्या 133 रकबा 0.26 है0, आराजी संख्या 136 रकबा 0.52 है0, आराजी संख्या 151 रकबा 0.59 है0, आराजी संख्या 154 रकबा 0.35 है0, आराजी संख्या 155 रकबा 0.34 है0, आराजी संख्या 205 रकबा 0.25 है0, आराजी संख्या 247 रकबा 0.40 है0 कुल कित्ता 10 कुल रकबा 4.53 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 102 पर दर्ज रेकार्ड है।

इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी शुल्क 500/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 1000/-रूपये सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें।

मौके पर दौराने पत्थरगढी अगर प्रार्थीगण की आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बिना कब्जे में दखल दिये उसको नजरी नक्शा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका के प्रस्तुत करें।

हुक्मनामा आज दिनांक 14.06.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।



(नेहा छीपा)

उपखण्ड अधिकारी

रायपुर जिला भीलवाड़ा
रायपुर (भीलवाड़ा)